कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1328 / 2023 / 10–11 / 1596 भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.089 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 4.11 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/WATER/146889/2021)

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPB 063/2023-BHO दिनांक 22.10.2023.

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

<u>शर्ते–A</u>

1– शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की एकजाई लागत राशि रू0 1,08,52,729 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 06.12.2023 को जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित / नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी–2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 41,10,304 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 06.12.2023 को जमा की जा चुकी है।

5– शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि दिनांक 06.12.2023 को एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

6– शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, गुना का प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2024 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

7— शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान ने म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.09.2020 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।

8— शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की पूर्ण KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।

9— शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी गुना के हस्ताक्षर सहित जस्टिफिकेशन प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।

10— शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जो संलग्न है।

11— शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया है कि पाईप लाईन बिछाने हेतु खुदाई के दौरान जो मिट्टी/मलबा निकलेगा उसे पाईप लाईन बिछाने के पश्चात पुनः गड्ढे में भर दिया जावेगा तथा शेष अनोपयोगी मिट्टी को वनक्षेत्र के बाहर निपटान किया जावेगा, वचन पत्र संलग्न है।

12— शर्त क्रमांक (12) के पालन में लेख है कि प्रस्तावित वनभूमि हाथी कॉरीडोर में नहीं आती है। अतः CWLW के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

13— शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।

14— शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

15— शर्त क्रमांक (15) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया है कि पाईप लाईन बिछाने हेतु खुदाई के दौरान जो मिट्टी/मलबा निकलेगा उसे पाईप लाईन बिछाने के पश्चात पुनः गड्ढे में भर दिया जावेगा तथा शेष अनोपयोगी मिट्टी को वनक्षेत्र के बाहर निपटान किया जावेगा, वचन पत्र संलग्न है।

16— शर्त क्रमांक (16) के पालन में ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53697 है।

17— शर्त क्रमांक (17) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

18— शर्त क्रमांक (18) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

<u>शर्ते—B</u>

1— शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2— शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3— शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4— शर्त क्रमांक (4) से (15) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

14.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1328 / 2023 / 10–11 / 1597 भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, गुना, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल